न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 73/2022 दायरा दिनांक : 25.05.2022

उनवान

मांगीलाल दत्तक पुत्र छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी रिझिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी रिझिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

3– उपपंजीयन अधिकारी मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजकिशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.11.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 48/2021 निर्णय दिनांक 12.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने अप्रार्थी रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रोझिया की आराजी खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 322 रकबा 2.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.01 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.93 हेक्टर तथा ग्राम काशीपुरा के खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 38/244 रकबा 2.76 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.88 हेक्टर आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में अप्रार्थी के पिता हीरालाल के खाते दर्ज थी। अप्रार्थी कम 1 के पिता 2 भाई गोपीलाल तथा हीरालाल थे। अप्रार्थी कम 1 अपने पिता की एक मात्र संतान थी तथा दूसरे भाई गोपीलाल के 4 पुत्र थे। अप्रार्थी कम 1 को विवादित आराजी बतौर पैतृक प्राप्त हुई है। अप्रार्थी कम 1 छीतरलाल ने 2 विवाह भेरीबाई व मूर्ति बाई से किये थे, लेकिन छीतरलाल के अपनी दोनों पत्नियों से कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसलिए छीतरलाल व उसकी पत्नियों ने हिन्दू रिति रिवाज से अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने चाचा मोहनलाल के लड़के प्रार्थी मांगीलाल को बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था। बाल्यावस्था से ही प्रार्थी बतौर दत्तक पुत्र की हैसियत से रह रहा है। प्रार्थी के दस्तावेजों में भी बतौर दत्तक पुत्र अप्रार्थी 1 के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी कम 1 की पैतृक सम्पत्ति में गोद लेने के बाद से ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी की शादी होने के बाद ही अप्रार्थी ने अपने हाथ खर्चे के लिए अपनी पैतृक आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी पर काश्त करने हेतु दे दी थी। इस कारण प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करवाकर अपना नाम अप्रार्थी कम 1 छीतरलाल के साथ राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 अन्य लोगों के बहकावें में आकर 5–6 माह से प्रार्थी से अलग रह रहा है तथा आराजी को खुर्द–बुर्द व रहन बेचान करने की धमकियां दे रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अप्रार्थी कम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजियात पैतृक आराजियात होने के कारण अपना 1/2 हिस्से के रूप में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अप्रार्थी कम 1 के साथ अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को अस्वीकार कर खारिज कर दिया एवं पत्रावली दिनांक 29.11.2021 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी अपीलांट द्वारा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज दत्तक पुत्र होने बाबत प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया, जबकि अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड आदि पेश किये थे तथा गांव के लोगों की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दांज करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को गोद पुत्र मानने में भूल की है जबकि अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने समस्त सरकारी दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है, जबकि

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में उक्त आराजियात में वादी के हिस्से बाबत निर्णय होना शेष है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण के जैरकार चलते विवादित विषयवस्तु की यथास्थिति बनायी रखी जानी चाहिए, जिससे पक्षकारों को अन्य कार्यवाहियों में नहीं उलझना पड़े, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.04.2022 अपास्त किया जाकर ताफैसला अपील रेस्पोडेंट को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अपीलांट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक रेस्पोडेंट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. डी. 1999 पेज 25 नजीर पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी अपीलांट द्वारा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज दत्तक पुत्र होने बाबत प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट अपील में अपना पक्ष विधिमान्य सिद्धांतों पर सिद्ध करने में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा